मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2016 (श्रावण 6, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल बाधित होने विषयक

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही श्री सुन्दरलाल तिवारी एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा भिन्न विषयों पर बोलने से कार्यवाही में व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - इस तरह से विधानसभा का समय बर्बाद होता है. आप लोग प्रश्नकाल क महत्व को दृष्टिगत रखकर बाद में बोलिये. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि - कल आपने आसंदी से व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल को बाधित करने के लिये एक बैठक बुलाने वाले हैं. सम्मानित सदस्य जो विषय अभी उठा रहे है, क्या यह शून्यकाल में नहीं उठाया जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर माननीय सदस्यों को पुन: यह समझाईश दी गई कि अभी प्रश्नकाल होने दीजिए और शून्यकाल में मामले को उठाइये.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 150 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 172 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 16 सूचनाएं नियम 267-क को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. निम्नांकित सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. मै समझता हूं सदन इससे सहमत है. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की शिवपुरी में मध्यप्रदेश शासन की नियुक्ति में सहरिया जाति की नियुक्ति न की जाने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली अंतर्गत मकरोनिया नगर पालिका कर्मचारियों के पद कम होने,
(3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की भोपाल में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक का पता न चलने,
(4) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की तहसील बड़वाह के ग्राम नावघाट खेड़ी में मंदिर कक्ष पर लोक निर्माण विभाग का कब्जा होने,
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले की तहसील सबलगढ़ के देवलालपुरा कृषि सहकारी समिति के सदस्यों की जमीन वापसी की जाने,
(6) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य की जिला छतरपुर बैराज बांध के डूब में आने,
(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के खातेगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में अनियमितता होने,
(8) श्रीमती उषा चौधरी, सदस्य की सतना जिले की ग्राम नैना की अराजी में अवैध खदाने चलाने,
(9) श्री मधु भगत, सदस्य की ग्राम हट्टा से तिलपेवाड़ा तक सड़क मार्ग का निर्माण होने,
(10) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिलान्तर्गत देवरी-रसैना मार्ग की उच्च स्तरीय जांच एवं मरम्मत कार्य होने,
(11) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जारी अधिसूचना संबंधी समस्या होने,
(12) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की नगर पालिका निगम में सागर के वार्ड पार्षदों की मानदेय में वृद्धि एवं पूर्व पार्षदों को पेंशन प्रदाय करने,
(13) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य की राजस्व प्रकरणों में मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु निर्णय किये जाने,
(14) श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्य की जबलपुर में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के 20 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ होने,
(15) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की मालवा में संतरे का अधिक उत्पादन होने से निर्यात, बिक्री और गोदामों की उचित व्यवस्था की जाने तथा
(16) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भोपाल के भेल में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को भू-खण्ड आवंटन में अनियमितता होने,

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – व्यापम प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन के सम्बन्ध में टिप्पणी की है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि सरकार ही इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में लेकर गई है. श्री बाबूलाल गौर, वरिष्ठ सदस्य के मतानुसार, आसंदी ने भी यह व्यवस्था दी कि - यह प्रकरण न्याय-निर्णयाधीन होने के कारण सदन में इस पर नहीं बोला जा सकता है.

(2) एक अधिकारी को प्रताड़ित किये जाने विषयक

सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी एवं रामनिवास रावत सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – प्रदेश की एक सीनियर आईएएस ऑफिसर सुश्री शशि कर्णावत ने इच्छा मृत्यु की मांग मुख्यमंत्री महोदय से की है. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह शून्यकाल का विषय न होने के कारण अगले माननीय सदस्य को पुकारा गया.

(3) ग्राम पंचायत टेमडी के अंतर्गत दो युवाओं को जिंदा जलाने विषयक

सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – पुलिस की लापरवाही के चलते मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमडी के अंतर्गत दो युवाओं को जिंदा जला दिया गया. इस पर ध्यान आकर्षण के माध्यम से चर्चा कराई जाए. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि वे इस पर विचार कर लेंगे.

(4) श्योपुर जिले में कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने विषयक

श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – श्योपुर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय नहीं होने के कारण स्थानीय कन्याओं को आगे पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. कई परिवारों के अभिभावक उन्हें महाविद्यालय में नहीं भेज पाते हैं. मेरा आसंदी के माध्यम से शासन से यह अनुरोध है कि मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप श्योपुर में कन्या महाविद्यालय अलग से स्थापित किया जाए.

(5) गायों की दुर्दशा को देखते हुए ग्राम पंचायतों में पशु शेड बनाये जाने विषयक

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – आज पूरे प्रदेश में गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि दूसरे गांव में गायों को छोड़ने से परस्पर विवाद की स्थिति हो रही हैं. कई राजमार्गों पर गायों के बैठने से आवागमन बाधित हो रहा है. दुर्घटनाएं होने पर धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है. मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रोजगार गारन्टी योजना के माध्यम से एक पशु शेड (बाड़ा) बना दिया जाए. जहां उनको रखकर जनसहयोग से भूसे की व्यवस्था हो सके.

(6) उज्जैन दक्षिण क्षेत्र के एक नाले में वर्षा का अत्यधिक पानी आने से मृत बालिका के परिवार को सहायता दी जाने एवं पुलियाएं बनाई जाने विषयक

डॉ.मोहन यादव, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ग्राम मुंडला सुलेमान में नाले में अत्यधिक वर्षा का पानी आने के कारण एक बालिका को बचाया नहीं जा सका. मेरा शासन से निवेदन है कि मृतक के परिवार को सहायता दी जाए. साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उन स्थानों पर पुलिया बनाई जाएं.

(7) जिला बालाघाट के अंतर्गत युवा सहकारी समिति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बहाल करने विषयक

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – जिला बालाघाट के अंतर्गत 126 युवा सहकारी समिति के 900 दैनिक कर्मचारियों को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक कर सहकारी संस्थाओं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र दिनांक 13.07.2016 के अनुसार समस्त 900 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इनके द्वारा राशन वितरण, रसायनिक खाद का वितरण व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता था. वे कार्य भी बाधित हो रहे हैं. अत: सभी कर्मचारियों की बहाली की जाए.

(8) सिवनी जिले में लगातार चोरी-डकैती की घटना होने तथा यातायात विभाग की लापरवाही विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – मेरे जिले में लगातार चोरी-डकैती की घटनाएं घट रही हैं. यातायात विभाग की लापरवाही से आज एक बच्चे की मृत्यु हो गई है. मेरा अनुरोध है कि विभाग की घोर लापरवाही के संबंध में ध्यानाकर्षण ग्राह्य करके चर्चा कराई जाए.

(9) नगर निगम भोपाल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण न किये जाने विषयक

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – नगर निगम भोपाल में 25 दिन और 90 दिन के कर्मचारी पिछले 10-15 सालों से डेलीवेजेस पर काम कर रहे हैं उनको सरकार ने अभी तक परमानेंट नहीं किया है. शासन ने यह घोषणा की थी कि जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको परमानेंट कर देंगे लेकिन आज तक परमानेंट नहीं किया है. अत: उनको शीघ्र परमानेंट किया जाए.

(10) वन विभाग द्वारा हुए वृक्षारोपण में लगे चौकीदारों को वेतन दिलाये जाने विषयक

श्री प्रताप सिंह, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की चौकीदारी के लिए 4 से 6 माह के बीच चौकीदार रखे हैं लेकिन उनका वेतन नहीं मिल रहा है. अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनको वेतन दिलाया जाए.

(11) विधान सभा क्षेत्र परासिया में कन्या महाविद्यालय खोले जाने विषयक

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – मेरी विधानसभा क्षेत्र, परासिया में एक ही शासकीय महाविद्यालय है जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और नई बिल्डिंग बनने के कारण पुराना महाविद्यालय भी शिफ्ट कर दिया गया है. इस कारण छात्राओं को आवागमन एवं सुरक्षा की परेशानी हो रही है. मैंने मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह किया है. मेरा आसंदी के माध्यम से शासन से यह अनुरोध है कि वहां कन्या महाविद्यालय शीघ्र खोला जाए.

(12) दिमनी विधान सभा क्षेत्र में दो सड़के बनाई जाने विषयक

श्री बलबीर सिंह डण्डोतिया, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – विधान सभा क्षेत्र में दिमनी की सड़कों के निर्माण हेतु मैं दो बार प्रश्न लगा चुका हूं. गोपी से मनपुरा के 8-10 गांवों में वर्षाकाल में रास्ता न होने से बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है. अत: आसंदी के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां दो सड़कें शीघ्र बनवा दें.

(13) सिंहस्थ में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार संबंधी स्थगन पर चर्चा कराई जाने विषयक

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह विषय उठाया गया कि – 26 जुलाई को सिंहस्थ से संबंधित मेरे प्रश्न पर शासन के द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है. मैंने और दल के कई विधायकगण ने स्थगन प्रस्ताव भी दिये हैं कि सिंहस्थ में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर चर्चा कराई जाय, जिससे सच्चाई सामने आ सके. इस स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए.

श्री रामनिवास रावत द्वारा भी इसी विषय को उठाया गया कि इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था आना चाहिए क्योंकि सत्र का केवल एक दिन शेष बचा है.अत: स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा कराई जाए.

(14) मंदसौर जिला चिकित्सालय में किडनी रोग से ग्रसित मरीजों से प्रति डायलिसिस की अधिक राशि वसूले जाने विषयक

श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – मंदसौर जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट की स्थापना की गई है. डायलाइजर उपलब्ध न होने के कारण वहां पर किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बीपीएल कार्ड धारी मरीजों से प्रति डायलिसिस 500 रूपये वसूल किये जा रहे हैं. मेरा आसंदी से यह अनुरोध है कि शासन को डायलाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 पटल पर रखीं.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखा.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ 35-82-2016-दो-सी-2, दिनांक 4 जुलाई, 2016 पटल पर रखी.

(4) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा

(ख) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,

पटल पर रखे.

6. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. तद्नुसार -

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर, युवाओं के साथ अन्याय होने की बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा, सदस्य ने शाजापुर जिले के ग्राम खेड़ावद में कृषकों को भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) पंडित रमेश दुबे, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के देहात थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा नागरिकों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) सर्वश्री कमलेश्वर पटेल, जयवर्द्धन सिंह एवं मुकेश नायक, सदस्यगण ने सीधी जिले में पात्र व्यक्तियों के नाम गरीबी रेखा सूची से काटे जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचदश प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचदश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 1	श्री दुर्गालाल विजय	45 मिनिट
2.	क्रमांक – 17	पं रमेश दुबे	1 घन्टा
3.	क्रमांक – 34	श्री दिनेश राय	45 मिनिट

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के पंचदश प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सत्रहवां, अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(2) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(3) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(5) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(6) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(7) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(8) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(9) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(10) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(11) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(12) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(13) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(14) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(15) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(16) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(17) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(18) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(20) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(21) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(22) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(23) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(24) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(25) श्री कुँवर सिंह टेकाम (जिला-सीधी)
(26) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)

(27) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(28) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(29) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(30) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(31) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(32) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(33) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(34) श्री घनश्याम पिरौनिया (जिला-दतिया)
(35) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(36) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(37) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(38) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(39) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(40) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(41) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(42) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(43) श्री संदीप जायसवाल (जिला-कटनी)
(44) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)

10. आसंदीय घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से यह घोषणा की कि - आज की कार्यसूची में पद 6 के अंतर्गत शासकीय विधि विषयक कार्य के पद (1) एवं (2) में उल्लेखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगगत रखते हुए, मैंने स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट, अपेक्षाओं को शिथिल कर आज पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, 2016 (क्रमांक 23 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

12. वर्ष 2006-07 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 24 एवं 67 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को तीस करोड़, सत्ताईस लाख, नौ हजार, छ: सौ सतानवे रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री रामनिवास रावत

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 10(1) तक की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) का पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. वर्ष 2009-10 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -
"दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 27, 32 एवं 49 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ तेईस करोड़, पचानवे लाख, बत्तीस हजार, पांच सौ चालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय." .

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2016 (क्रमांक 20 सन् 2016) का पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए.

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2016 (क्रमांक 20 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(अपराह्न 1.47 से 4.02 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री रामनिवास रावत

16. स्वागत उल्लेख

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सदन में पधारने पर स्वागत उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय ने यह स्वागत उल्लेख किया कि - सदन के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो हमारे राष्ट्रीय संत हैं वे यहाँ पधारे हैं, वह सदन के अन्दर दृष्टि डाल रहे हैं और उनके आने से प्रदेश का जन कल्याण होगा और एक सबसे बड़ी बात, हम लोग चर्चा किया करते हैं कि हमारे इस भवन में कोई वास्तुदोष है तो आज मैं यह सोचता हूँ कि महाराज श्री के पधारने से सारे वास्तुदोष दूर हो जाएँगे. मैं आप सबकी तरफ से उनका बहुत स्वागत करता हूँ.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) श्री सुखेन्द्र सिंह
(4) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(5) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(6) श्री शैलेन्द्र जैन
(7) श्री सोहनलाल बाल्मीक

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयभान सिंह पवैया ने प्रस्ताव किया कि पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

18. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन विषय की सूचना पर चर्चा

प्रदेश में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से फीस व अन्य शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए

(2) श्री दिलीप सिंह परिहार
(3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल
(5) श्रीमती शीला त्यागी
(6) श्री पन्नालाल शाक्य
(7) श्री कमलेश्वर पटेल
(8) श्री शंकरलाल तिवारी

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

कुँवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

19. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने दिनांक 21 जुलाई, 2016 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1639) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा में भाग लिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल, सदस्य ने दिनांक 21 जुलाई, 2016 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 1757) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा में भाग लिया.
डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अपराह्न 6.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016 (श्रावण 7, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 28 जुलाई, 2016